निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 2/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नाथूलाल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पचार तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अरशदीप बरार आर.ए.एस. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ।
   माफी मन्दिर गोपाल जी नेक्स फेण्ड
2. रामचरण पुत्र भगवान सहाय
3. बुद्धि प्रकाश पुत्र भगवान सहाय
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

4. मोहन लाल पुत्र सत्यनारायण
5. प्रमोद पुत्र ओमप्रकाश
6. गिर्राज पुत्र ओमप्रकाश
7. राजेन्द्र पुत्र राधेश्याम
8. अशोक पुत्र राधेश्याम
9. विनोद पुत्र राधेश्याम
10. अनिल पुत्र राधेश्याम
11. जडाव पत्नी राधेश्याम

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पचार, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 121/2007 ब उनवानी माफी मन्दिर गोपाल जी बनाम सत्यनारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. श्री एन. के. यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 19.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 121/2007 ब उनवानी मन्दिर गोपाल जी बनाम सत्यनारायण व अन्य बाबत वाद बाबत व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। जिसमे पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त

होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 02.02.2021 नियत की गई विपक्षी संख्या 3 की ओर श्री एन. के. यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। उभय पक्ष को सुन कर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 30.12.2020 को विपक्षी गांव से आये तथा उन्होंने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि हमारी साहब से बात हो चुकी है, अब वह जल्द ही उक्त प्रकरण का फैसला हमारे हक में कर देंगे। दिनांक 31.12.2020 को प्रार्थी न्यायालय में गया तो प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की जानकारी पीठासीन अधिकारी को दी जिस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि तुम इन लोगों से राजीनामा कर लो, इनकी पहुंच उपर तक है मै कुछ नहीं कर सकती तथा तुम्हारे खिलाफ फैसला कर दूंगी तथा राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना बाद में करूंगी। जिससे प्रार्थी को घोर आशंका उत्पन्न हो गई कि अब अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को न्याय से वंचित कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर रखी है और पीठासीन अधिकारी येन केन प्रकारेण प्रार्थी के विरूद्व फैसला करने एवं अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। इस स्थिति में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के सम्मुख मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय मे मुकदमों का अम्बार होने के बावजूद भी प्रकरण में पास पास की तारीख देकर स्वयं का हित होना स्पष्ट संकेत देता है इसलिए भी प्रार्थी को उनसे न्याय की कोई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 22/2020 उनवानी नाथूलाल बनाम प्रवीण कुमार अग्रवाल दर्ज होकर दिनांक 05.11.2020 को खारिज हुआ है। अब नये पीठासीन अधिकारी के आने पर उनके विरूद्व भी दिनांक 01.01.2021 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 2007 से लम्बित है। प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगा देता है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो दिनांक 05.11.2020 को खारिज हो चुका है और अब नये पीठासीन अधिकारी के आने पर उनके विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में मामला

जिला कलक्टर
जयपुर

वर्ष 2007 से विचाराधीन है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रकरण के निस्तारण में देरीना करना चाहता है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर